

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 283]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 सितम्बर 2023—भाद्र 20, शक 1945

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2023

क्र. एफ-3-8-2020-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, एतद्द्वारा श्री प्रताप सिंह कुशवाह (सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश), अध्यक्ष, संभागीय सतर्कता समिति ग्वालियर को दिनांक 11 अगस्त 2023 से 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने के दिनांक 6 मार्च 2024 तक के लिये अध्यक्ष, संभागीय सतर्कता समिति, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के पद पर नियुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप कुमार कापसे, उपसचिव.